

बिजली चोरी में अदालतें हुई सख्त: फैक्टरी मालिक को 1 साल की सश्रम कैद

- फाइन का भुगतान नहीं किया, तो अलग से 3 महीने और जेल में काटने होंगे
- एक महिला को भी 3 महीने की कैद

नई दिल्ली: 3 मार्च, 2011। नई दिल्ली: 3 मार्च, 2011। बिजली चोरों के खिलाफ अदालतें काफी सख्त हो गई हैं। यही वजह है कि एक फैक्टरी मालिक को सामान्य कैद सजा न देकर, स्पेशल कोर्ट ने उसे 1 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उस पर भारी फाइन भी किया गया है। यदि वह फाइन का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अलग से 3 महीने और जेल में काटने होंगे। एक अन्य मामले में, एक महिला को भी स्पेशल कोर्ट ने 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है।

फैक्टरी मालिक को 1 साल की सश्रम कैद

पीवीसी गुल्ला बनाने वाली कंपनी के मालिक कुलदीप को बिजली चोरी के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 1 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उसे 30.38 लाख रुपये का भुगतान भी करना है। (इस रकम में बीआरपीएल द्वारा किया गया जुर्माना और कोर्ट द्वारा तय की गई सिविल लायबिलिटी की राशि – दोनों शामिल हैं।)

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपी पर जो आरोप लगाए हैं, उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। उपरोक्त बातों के मद्देनजर, बिजली कानून 2003 की धारा 135 के तहत आरोपी पर 13.02 लाख रुपये का फाइन किया जाता है। यदि आरोपी इस फाइन का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अलग से 3 महीने और जेल में काटने होंगे। कोर्ट ने आरोपी पर सिविल लायबिलिटी भी निर्धारित की। सिविल लायबिलिटी के तौर पर, आरोपी अलग से 17.36 लाख रुपये का भुगतान करेगा।

कुलदीप ने अपने बचाव में कोर्ट में काफी तर्क दिए। वह इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था कि वह बिजली की सीधी चोरी कर रहा था। साथ ही, उसने यह भी कहा कि उसके परिसर की कोई चेकिंग नहीं हुई। कुलदीप ने कोर्ट को बताया कि उसने अपनी फैक्टरी किराए पर किसी पूरनचंद को दे रखी थी। लेकिन अदालत में जिरह के दौरान उसके सारे तर्क धरे के धरे रह गए। एक तो बीआरपीएल ने यह साबित कर दिया कि फैक्टरी से आरोपी जुड़ा हुआ है। और दूसरा, जिस पूरन चंद को आरोपी अपना किराएदार बता रहा था, उसने साफ कह दिया कि वह आरोपी का किराएदार नहीं है और जो रेंट अग्रीमेंट आरोपी ने पेश किया है, वह फर्जी है।

उल्लेखनीय है कि बीआरपीएल ने रनहोला विलेज में कुलदीप की फैक्टरी पर छापा मारा था, जिसमें 55 किलोवॉट की सीधी बिजली चोरी पकड़ी गई थी। वहां बिजली का कोई मीटर भी नहीं था और बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी की जा रही थी। उस पर बीआरपीएल ने 21.70 लाख रुपये का जुर्माना किया था।

महिला को 3 माह की कैद

बिजली चोरी के एक मामले में स्पेशल कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए एक महिला को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। जनकपुरी में रह रहीं श्रीमती किस्मत देवी को कोर्ट ने बिजली कानून, 2003 की धारा 135 के तहत, बिजली चोरी का दोषी करार दिया और आदेश दिया कि वह 2.36 लाख रुपये के फाइन का भुगतान करें। (इस रकम में बीआरपीएल द्वारा किया गया 1, 57, 421 रुपये का जुर्माना और कोर्ट द्वारा तय की गई सिविल लायबिलिटी की राशि – दोनों शामिल हैं।) लेकिन महिला ने फाइन का भुगतान नहीं किया। अब कोर्ट के आदेश के तहत, महिला को 3 महीने जेल में बिताने होंगे।

कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि चूंकि दोषी महिला को सिविल लायबिलिटी का भी भुगतान करना है, इसलिए यदि फाइन की रकम की वसूली होती है, तो उसमें से 1, 57, 421 रुपये का भुगतान शिकायतकर्ता को किया जाएगा।

हालांकि, अपने बचाव में गृहिणी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनके घर की चेकिंग नहीं हुई, क्योंकि वह मौके पर नहीं थीं। लेकिन बीएसईएस की ओर से कोर्ट में पेश किए तथ्यों, गवाहों और तर्कों के आगे आरोपी महिला की दलील नहीं टिक सकी। और फिर, कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2008 में बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की एन्फोर्समेंट टीम ने छापेमारी की थी जिसमें, आरोपी को 8 किलोवॉट बिजली की चोरी करते पकड़ा गया था। वहां बीएसईएस की तारों पर कटिया लगाकर बिजली की

चोरी की जा रही थी। हालांकि, आरोपी के यहां बिजली का मीटर था, लेकिन आरोपी ने अपने मीटर को बायपास किया हुआ था और कटिया के सहारे बिजली की चोरी की जा रही थी। बीएसईएस ने आरोपी पर 1.57 लाख रुपये का जुर्माना किया था।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, इस साल जनवरी से स्पेशल कोर्ट द्वारका और साकेत ने कुल 15 लोगों को जेल भेजा है और 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस— 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस— 3999415 / 9350130304